सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 16, मंगलवार, *शाके* 1943–अप्रेल 6, 2021 *Chaitra 16, Tuesday, Saka 1943- April 6, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

जयपुर, अप्रेल 05, 2021

एस.ओ.524 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(18)वित्त/कर/2015-288 दिनांक 25.03.2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

[सं.एफ.5(18)वित्त/कर/2015-288]

राज्यपाल के आदेश से,

टीना डाबी,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, मार्च 25, 2021

राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) और उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(2)वित्त/कर/2021-280 दिनांक 24.02.2021 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, खण्ड 18 के विद्यमान स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"19. मोबाइल टावर के प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

मोबाइल टावर के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भूमि या मोबाइल टावर के प्रयोजनों के लिए पट्टाकृत की जाने वाली भूमि की दरें उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।"

[सं.प.5(18)वित्त/कर/2015-288,
राज्यपाल के आदेश से,
टीना डाबी,
संयुक्त शासन सचिव''

Government Central Press, Jaipur.